



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 28 मई, 2022 / 7 ज्येष्ठ, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 मई, 2022

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-8/2022-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन

और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 को दिनांक 20-05-2022 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2022 के अध्यादेश संख्यांक 2 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

ओदश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

2022 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश, संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

मन्त्रियों, विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों पर आयकर के संदाय से सम्बन्धित उपबन्धों का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 है।

अध्याय-2

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. **धारा 12 का लोप.**—मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 12 का लोप किया जाएगा।

अध्याय-3

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन

3. **धारा 11-क. का लोप.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 11-क. का लोप किया जाएगा।

अध्याय-4

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैनशन)
अधिनियम, 1971 का संशोधन

4. धारा 6-कक. का लोप.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैनशन) अधिनियम, 1971 की धारा 6-कक. का लोप किया जाएगा।

(राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर),
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

(राजीव भारद्वाज),
प्रधान सचिव, विधि।

शिमला :
तारीख :....., 2022

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. ORDINANCE NO. 2 OF 2022

**THE HIMACHAL PRADESH PAYMENT OF INCOME TAX ON SALARIES AND
ALLOWANCES OF CERTAIN CATEGORIES ORDINANCE, 2022**

*Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the
Republic of India.*

AN ORDINANCE to amend the provisions regarding payment of Income Tax on the Salaries and Allowances of Ministers, Speaker, Deputy Speaker and Members of the Legislative Assembly.

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Payment of Income Tax on Salaries and Allowances of Certain Categories Ordinance, 2022.

CHAPTER-II
AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS
(HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000

2. Omission of Section 12.—In the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, section 12 shall be omitted.

CHAPTER-III
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S
AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971

3. Omission of Section 11-A.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971, Section 11-A shall be omitted.

CHAPTER-IV
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY
(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

4. Omission of Section 6-AA.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, Section 6-AA shall be omitted.

(RAJENDRA VISHWANATH ARLEKAR),
Governor, Himachal Pradesh.

(RAJEEV BHARDWAJ)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA :
THE.....2022.

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

1. कृषि

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी,

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से 350 रुपए प्रतिदिन या 10,500 रुपए प्रतिमास की दर से संशोधित करते हैं:-

टिप्पणी :-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्नलिखित होगी.—

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

आर० डी० धीमान ,
अति० मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

2. सड़कों का निर्माण या रख-रखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सड़कों का निर्माण या रख-रखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग :

अकुशल कर्मकार:

भिशाती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टेम्परर ग्रेड-II/गलेजियर/पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/ बिटुमेन के लिए स्प्रे मैन/पाइप लाइन मैन /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्वोरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रैक्टर एवं रोड रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/ सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन (चपरासी)/ड्रेसर/ आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5 वर्ष का अनुभव वाले) /खलासी (0 से 3 वर्ष का अनुभव वाले)/ बिल डिस्ट्रीब्यूटर/मक्कर ।

संशोधित
दैनिक
रुपए
350

मजदूरी
मासिक
रुपए
10500

अर्धकुशल कर्मकार:

कारपेन्टर ग्रेड-II / मैसन ग्रेड-II / स्यूअर मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड-II / सैनिटरी फिटर ग्रेड-II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन रोडज/ क्रैन-मैन/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट मैन) / क्रैन-मैन / डिस्टैम्परर ग्रेड-I/फिटर ग्रेड-II फलोर-पॉलिशर/ / स्टोन ड्रेसर/माली वैल-सिंकर/ वहाइट-वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड-II, टर्नर-ग्रेड-II/पाइप फिटर ग्रेड-II/ब्रिक मोल्डर/सहायक फिटर/सहायक फायर मैन/सहायक वैलडर/सहायक टर्नर/बैटरी चार्जर/ड्रेसर (अर्हित/अनुभवी)/हैमरमैन/कुक/ वल्कनाइज़र/नोजल मैन/ टनल मैन / एलॉए ट्रोली ऑपरेटर / एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 वर्ष और इससे अधिक का अनुभव वाले)/ आयल-क्लीनर/नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन / सहायक-लैबलर/ खलासी (3 से 8 वर्ष का अनुभव वाले) / स्टोन-ड्रेसर/ पम्प-एटैन्डेन्ट/ऑटो इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-II/ गार्डनर / गेज-रीडर / सहायक लैब एटैन्डेन्ट /ऑटो इलैक्ट्रिशियन/ मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट/टेलीफोन एटैन्डेन्ट/स्टोन-ब्रेकर/रॉक कैरियर ब्रेकर/ स्टोन-क्रशर

रुपए
371.77

रुपए
11153

1½ इंच से 2 इंच

2074.95 रुपए प्रति सौ घन फुट

1 इंच से 1¼ (इंच रुपये 2314.48 रुपए प्रति सौ घन फुट

कुशल कामगार:

कारपेन्टर ग्रेड-I मैसन ग्रेड- I / ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर

रु० पै०

406.36

रु० पै०

12191

ग्रेड-I/अप-होलसल्टर ग्रेड-I / सहायक पम्प ऑपरेटर / पम्प ऑपरेटर/ पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड-II / जल आपूर्तिफिटर/ कारपेन्टरग्रेड-II / काम्प्रेसर ऑपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड-I/दर्जी या टेलर ग्रेड-II / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड-I / पाइप फिटर ग्रेड- I/ ऑटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर-ऑपरेटर/संरचनात्मक फिटर ग्रेड-II / वर्कशाप फिटर/ जनरेटर ऑपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कृषिग प्लांट फिटर / प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर/इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / ऑटो फिटर / पाइप लाइन फिटर/रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-ऑपरेटर/शाफ्ट माइनर/ कोचरिंग ऑपरेटर / डोजर ऑपरेटर / रोकलेन ऑपरेटर / सक्रेपर-ऑपरेटर / लोडर ऑपरेटर / क्रेन-ऑपरेटर/ युकलिड-ऑपरेटर / वैगन ड्रिल ऑपरेटर / बोरिंग-ऑपरेटर / एस0एल0डी0 क्रेन ऑपरेटर/ प्लांट-ऑपरेटर / आइस प्लांट ऑपरेटर या वैल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ / ट्रैक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन ऑपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर/विन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर/ मिलर/क्लाइमबर / मोल्डर /लेवलरज साँ मिल कटर/केबल जाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड-II /खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर ऑपरेटर / ई0एम0ई0 / ड्राइवर/कम्प्रेसर/ रौकर शोवेल ऑपरेटर / स्नो कटर ऑपरेटर / लोको-ऑपरेटर/ गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क-मिस्ट्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी0जी0सेट ऑपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड-III.

उच्च कुशल:

	रु० पै०	रु० पै०
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड-I / चार्ज मैन ग्रेड-I / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड-I/ टर्नर ग्रेड-I/मकैनिक आल राउन्डर ऑपरेटर / मैसन/मिस्ट्री और कारपेन्टर मिस्ट्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड-I/सर्वेयर/ड्राफ्टसमैन/सहायक फोरमैन/मशीनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित)/रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राइवर/ वायरमैन / ऑटो इलेक्ट्रिशियन/ इलेक्ट्रिशियन/ कैमिकल एनालाइजर ।	483.17	14495

लिपिक और गैर-तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

	रुपए	रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी/ सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग क्लर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग क्लर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फैंरो-प्रिटर/ ड्राइवर (जीप/ कार/ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर/ लेखा-लिपिक/ स्टेनोग्राफर ।	406.36	12191

टिप्पणी:—

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।

3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कामगार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
आर० डी० धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

3. लोक मोटर परिवहन

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “लोक मोटर परिवहन” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **30-03-2022** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2022** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2022** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):	350 रुपए प्रतिदिन	10500 रुपए प्रतिमास
(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी		
(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल)		
(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है ।		
अर्ध-कुशल	363.08 रुपए प्रतिदिन	10892 रुपए प्रतिमास

1. सहायक इलैक्ट्रिशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर
6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर
8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन-मेकर
11. सहायक बोल्केनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलैक्ट्रिशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रीडर

18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई0टी0आई0 का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो।
19. सहायक मोल्डर ।

कुशल:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, रु0 396.63 प्रतिदिन
 मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, या
 टायरमैन स्प्रे पेंटर, इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, रु0 11,899 प्रतिमास
 वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो।
 आई0टी0आई0 सर्टिफिकेट धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ:

रु0 439.89 प्रतिदिन या
 रु0 13197 प्रतिमास

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर ।

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि**ग्रुप -ए :**

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे रु0 396.63 प्रतिदिन या
 बुक-राइटर, क्लर्क, सहायक कौशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर रु0 11899 प्रतिमास
 कीपर, पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

ग्रुप-बी:

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चौकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, रु0 416.97 प्रतिदिन या
 स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कौशियर, रु0 12509 प्रतिमास
 टायर-निरीक्षक ।

ग्रुप-सी:

हैड एसिस्टेंट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कौशियर ।

रु0 491.77 प्रतिदिन
 रु0 14753 प्रतिमास

रनिंग-स्टाफ:

	प्रतिदिन	प्रतिमास
1. ड्राइवर	रु0 444.50	रु0 13335
2. कन्डक्टर	रु0 405.64	रु0 12169
3 कलीनर-कम-कन्डक्टर	रु0 379.57	रु0 11387
4 पार्ट-टाइम बुकिंग क्लर्क	रु0 243.72	रु0 7312

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।

3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

(i) **अकुशल**.—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्द्ध-कुशल**.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए/किए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल**.—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल**.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
आर० डी० धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **30-03-2022** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2022** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा
उपलब्ध नहीं करवाई
गई है

जहां भोजन, चाय
और संयुक्त आवास,
सुविधा उपलब्ध करवाई
गई है

अकुशल:

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार / चौकीदार /
चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन /
वाटरमैन / क्लीनर / पैकर / मजदूर / लेन्डर /
अनलेन्डर / मैसेंजर / क्लाकरूम
अटेंडेन्ट / पोर्टर / भिश्ती / बेलदार / फायरमैन /
पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल
कार्य कर रहा हो ।

रुपए 350 प्रतिदिन
रुपए 10500 मासिक

रुपए 324.47 प्रतिदिन
रुपए 9734 मासिक

अर्धकुशल:

हैडपोर्टर / पैंटरीमैन / काफी टीमेकर /
चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर (सिनेमा) /
सहायक लाइनमैन / सहायक -आपरेटर / वाइंडर
एसीस्टेंट / बिल-कलेक्टर / कनवैसर / कुक /
असिस्टेंट-हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर /
रुलिंग-कटिंग औक्शनर / माली / सीवरमैन /
होटल-गाइड / सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर /
सहायक-टर्नर / सहायक / वैल्डर
सहायक-इलैक्ट्रिशियन / सहायक / सेल्जमैन /
सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन /
बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर / वेटर / वेयरर /
ऐसिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर /
पकौड़ा और चना मेकर / कलर्क / (नॉन मेट्रिक /
सहायक स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व
सहायक-मशीनमैन / इनक्वायरी अटैन्डेन्ट / टेलीफोन
अटैन्डेन्ट / आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारक ।

रुपए 369.93 प्रतिदिन तथा रुपए 339.12 प्रतिदिन
रुपए 11098 प्रतिमाह तथा रुपए 10174 प्रतिमाह

कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टिनस्मिथ / वाचमेकर / रेडियो
मैकेनिक / कारपेंटर / पलम्बर / ड्राइवर /
सहायक टेलर / कटर (टेलरिंग) / जनरल
मैकेनिक / हलवाई कुक / कन्फैक्शनर /
बेकर / स्टुवार्ड / बटलर / फिटर / ड्राफ्टसमैन /
टेलीफोन-आपरेटर / कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ /
शू-मेकर / शाल कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर /
सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर /
ड्रायर / बारबर / रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट /
वैल्डर / मोल्डर / कैशियर / क्लर्क (मैट्रिक) /
मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर / वियरर /
स्टोर-कीपर / हैड वेटर / हैड-वेयरर (वेस्टरन
स्टाइल होटल) / लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण-
पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

रुपए 406.36 प्रतिदिन
रुपए 12191 मासिक

रुपए 373.51 प्रतिदिन
रुपए 11205 मासिक

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) /	रुपए 422.85 प्रतिदिन	रुपए 391.38 प्रतिदिन
लेखाकार/ मुख्य खजानची / हैड-कुक् /	रुपए 12686 मासिक	रुपए 11741मासिक
हैड-बटलर / हैड-बेकर /		
हैड-कन्फैक्शनर/ हैड- मैकेनिक /		
इलैक्ट्रिशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर/		
टेलर / कटर (टेलरिंग) ।		

टिप्पणी.—

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
आर0 डी0 धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

5. वानिकी उद्योग

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **30-03-2022** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2022** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2022** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम मजदूरी	
	दैनिक	मासिक
1. अकुशल कर्मकार वृक्षों का गिराना:	रुपए 350	रुपए 10500
1. लॉपर (छांगी)	रुपए 369.93	रुपए 11098
2. फैलर (गिरानी)	रुपए 357.92	रुपए 10738
2. लॉगिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित		
1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 357.92	रुपए 10738
2. सायर (चिरानी)	रुपए 439.89	रुपए 13197
3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 413.02	रुपए 12391
3. ढुलान, ढेरी लगाना और शारीरिक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरण:		
1. ढुलाई के लिए मजदूर	रुपए 357.92	रुपए 10738
2. इमारती लकड़ी को लादनें और उतारने के लिए मजदूर।	रुपए 357.92	रुपए 10738
4. रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई:		
1. स्पैन मिस्ट्री कम सुपरवाइजर	रुपए 439.89	रुपए 13197
2. स्पैन मिस्ट्री	रुपए 413.02	रुपए 12391
5. पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरु (ड्राई स्लाइड), नाला बहान और दरिया बहान और (रिवर फ्लोटिंग) द्वारा ढुलाई:		
1. मोहरी वाला मिस्ट्री	रुपए 471.27	रुपए 14138
2. तारु	रुपए 452.33	रुपए 13570

3. असिसटेंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 422.85	रुपए 12686
4. दरियामैन	रुपए 452.33	रुपए 13570
5. घालू	रुपए 384.72	रुपए 11542
6. जमादार	रुपए 384.72	रुपए 11542
6. यत्रीकृत लोडिंग और लकड़ी की निकासी:		
1. सर्वेयर	रुपए 442.53	रुपए 13276
2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 413.02	रुपए 12391
3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 387.43	रुपए 11623
4. कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 387.43	रुपए 11623
7. क्लैरिकल स्टाफ :		
1. मैनेजर	रुपए 509.43	रुपए 15283
2. एकाउन्टेंट	रुपए 393.38	रुपए 11801
3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 357.92	रुपए 10738
8. सॉ मिल वर्कर :		
1. बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 413.02	रुपए 12391
2. सुपरवाइजर	रुपए 409.07	रुपए 12272
3. हैड मिस्त्री	रुपए 413.02	रुपए 12391
4. बॉयलर ड्राइवर	रुपए 413.02	रुपए 12391
5. एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 363.08	रुपए 10892
6. पलेनर मिस्त्री	रुपए 363.08	रुपए 10892
7. हैल्पर	रुपए 357.92	रुपए 10738
8. कटर मैन	रुपए 357.92	रुपए 10738
9. कत्था निकासी :		
1. फौलर तथा चिप्पर	रुपए 357.92	रुपए 10738
2. कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रोसेसर	रुपए 357.20	रुपए 10716

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी)
ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए 483 दैनिक रुपए 14490 मासिक

टिप्पणी.—

- समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
आर० डी० धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रासायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **30-03-2022** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2022** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

संशोधित न्यूनतम दरें

अकुशल:

दैनिक मासिक
रुपए 350 रुपए 10500

अर्धकुशल:

दैनिक मासिक
रुपए 360.92 रुपए 10828

एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-I, मशीन लेवलर, सलैक्टर कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर हैगमैन, आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।

कुशल:

दैनिक मासिक
रुपए 406.36 रुपए 12191

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिसटेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड-II वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन ईजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिसटेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/क्लर्क (मैट्रिकुलेट), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर आई0टी0आई0 प्रमाण- (सर्टिफिकेट) धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत हैं।

उच्च-कुशल:

दैनिक मासिक
रुपए 483.17 रुपए 14495

बॉयलर अटेंडेंट (प्रथम श्रेणी) ओवर सीयर, हैड फोरमैन

टिप्पणी.—

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अब्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल.—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित

होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर० डी० धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

7. इंजीनियरिंग उद्योग

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 30-3-2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	दैनिक	मासिक
अकुशल:	रुपए 350	रुपए 10500

अर्धकुशल:

टेपर ग्रेड-III, टर्नर ग्रेड-III, ड्रिलर ग्रेड-III, रोमर ग्रेड-III, शेयर मैन ग्रेड-III, मशीनमैन, मशीनिस्ट/ ऑपरेटर ग्रेड-III, ब्रजर ग्रेड-III, हैड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेड- III, प्रैस आपरेटर ग्रेड- III, स्प्रे पेंटर ग्रेड-III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड-III, असेम्बलर ग्रेड-III, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड-III, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-III, मोपर ग्रेड-III, ग्राइंडर ग्रेड-III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड- III, थ्रैड/रोलर आपरेटर ग्रेड-III, बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड-III, फीडर ग्रेड-III, डाइमेकर ग्रेड-III, वैल्डर ग्रेड-III, टिनस्मिथ ग्रेड-III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड-III, इलैक्ट्रिक लाइनमैन ग्रेड-III, बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड-III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड-III, ऑयलमैन।	रुपए 360.92	रुपए 10828
--	------------------------------	-----------------------------

कुशल:

टेपर ग्रेड-II, टर्नर ग्रेड-II, ड्रिलर ग्रेड-II, शेपर ग्रेड-II, शेपर मैन ग्रेड-II, स्लाटरमैन ग्रेड-II, मशीनिस्ट ऑपरेटर/ब्रजर ग्रेड-II, लाइनर ग्रेड-II, स्प्रे पेन्टर ग्रेड-II, ट्रांसफर मिक्सर ग्रेड-II, प्रैस ऑपरेटर ग्रेड-II, असेम्बलर ग्रेड-II, टेलर ग्रेड-II, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-II, मोपर ग्रेड-II, ग्राइंडर ग्रेड-II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड-II, थ्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड-II, बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड-II, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड-II, फिटर ग्रेड-II, कारपेंटर /पैटर्न मेकर ग्रेड-II, डाइमेकर ग्रेड-II, साइस्टर ग्रेड-II, वैल्डर ग्रेड-II, टिनस्मिथ ग्रेड-II, हैमरमैन ग्रेड-II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-II, टूलसैटर ग्रेड-II, इलैक्ट्रिकल लाइनमैन ग्रेड-II, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II, आरमैचर वाइंडर और कॉएल वाइंडर ग्रेड-II, केबल ज्वाइंटर ग्रेड-II, वाऊचर इन्सपैक्टर ग्रेड-II, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड-II, मोल्डर ग्रेड-II, सुपरवाइजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।	रुपए 406.36	रुपए 12191
--	------------------------------	-----------------------------

उच्च-कुशल:

टर्नर ग्रेड-I, ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेटर ग्रेड-I, शेपर मैन ग्रेड-I, सलाटरमैन ग्रेड-I, मिलर ग्रेड-I, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-I, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड-I, फिटर ग्रेड-I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड-I, डाइमेकर ग्रेड-I, एन्ग्रेवर ग्रेड-I, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-I, डाइसैटर ग्रेड-I, टूल सैटर ग्रेड-I, इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-II,	रुपए 483.17	रुपए 14495
--	------------------------------	-----------------------------

क्लेरिकल स्टाफ:

कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर।	रुपए 375.62	रुपए 11269
---	------------------------------	-----------------------------

टिप्पणी :-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
आर० डी० धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग**संशोधित न्यूनतम मजदूरी**

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़नें, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, कांट -छांट करने, गुड़ाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।

रुपए 350 दैनिक रुपए 10500 मासिक

ए-ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे **25.32** रुपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे **20.04** रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे **14.94** रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे। पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के 'ए', 'बी व 'सी' ग्रेड के लिए **25.32** रुपए, **20.04** रुपए और **14.94** रुपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे।

अर्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधारोपण में लगाए गए कर्मकारों को **355.95** रुपए प्रतिदिन, **10679** रुपए प्रतिमास मिलेंगे।

कारखाना :

इसमें लिफ्ट मजदूर, (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिपिंग मजदूर, फर्मेटिंग रूम कर्मकार, टी ब्याएज, सार्टर्ज, टी-मेकर्स टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

रुपए 350 दैनिक और रुपए 10500 मासिक

प्लांटेशन :

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर माली तथा मेट भी शामिल होंगे

रुपए 350 दैनिक रुपए 10500 मासिक

क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ

- लेखाकार रुपए 535.02 प्रतिदिन रुपए 16051 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास।
- लिपिक रुपए 406.36 प्रतिदिन रुपए 12191 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास।
- मुन्शी रुपए 425.92 प्रतिदिन रुपए 12778 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय है।
- चपरासी / चौकीदार / चौधरी रुपए 355.95 प्रतिदिन रुपए 10679 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो लिपिक जो अनुज्ञेय है।

दैनिक मासिक

- कम्पाउन्डर रुपए 495.61 रुपए 14868
- ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर) रुपए 444.50 रुपए 13335
- मकैनिक रुपए 499.60 रुपए 14988
- असिस्टेंट मकैनिक रुपए 442.53 रुपए 13276
- इलैक्ट्रिशियन-कम-मकैनिक ग्रेड-I रुपए 499.60 रुपए 14988
- इलैक्ट्रिशियन-कम-मकैनिक ग्रेड-II रुपए 442.53 रुपए 13276

टिप्पणी :—

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और ब्यस्क या अब्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,

आर० डी० धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

**9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में
यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापना**

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948" की धारा-2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के

अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रुपए 350 प्रतिदिन या रुपए 10500 प्रतिमास
अर्ध-कुशल	रुपए 360.92 प्रतिदिन या रुपए 10828 प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द (स्टाफ)	रुपए 406.36 प्रतिदिन या रुपए 12191 प्रतिमास
उच्च कुशल	रुपए 483.17 प्रतिदिन या रुपए 14495 प्रतिमास

टिप्पणी:—

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य

द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) कुशल.—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर० डी० धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

10. होटल और रैस्टोरेंट

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जहां खाना, चाय और संयुक्त आवास की प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:

हैल्पर/ चौकीदार / चपरासी / स्वीपर / मसालची रुपए 350 दैनिक रुपए 324.47 दैनिक

/ गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लोकरूम
अटेंडेंट / पोर्टर/भिश्ती / बेलदार / फायरमैन/ रुपए 10500 रुपए 9734 मासिक
पांडी / पोस्टर मैन/ कोई अन्य कामकार जो मासिक

अर्ध-कुशल कर्मकार

पेंट्रीमैन / कॉफी-टी मेकर / चपातीमैन / सहायक रुपए 369.93 रुपए 340.11 प्रतिदिन
बेकर / कुक/ सहायक हलवाई / बुक बांडर / प्रतिदिन रुपए 10203 मासिक
स्टिचर / रूलिंग कटिंग / ऑक्शनर / माली / रुपए 11098
होटल गाइड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट मासिक
फिटर/ सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर/ असिस्टेंट
वैल्डर/ असिस्टेंट इलैक्ट्रिशियन/ असिस्टेंट
सेल्जमैन / असिस्टेंट बार्बर / धोबी / प्रैसमैन /
बॉयलरमैन/ फिल्म रिवाइंडर / वाटर बेयरर/ असिस्टेंट
रेडियो मकैनिक/ पेंटर/ व्हाइट वॉशर/ पकौड़ा और
चना मेकर/ क्लर्क (नॉनमैट्रिक)/ असिस्टेंट स्टोर
कीपर, डिस्ट्रीब्यूटर और असिस्टेंट मशीनमैन /
इनक्वायरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/
आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो अन्य ट्रेड में
कार्यरत है ।

कुशल कर्मकार:

ड्राइवर / हलवाई / कुक/ कन्फैक्शनर / रुपए 406.36 दैनिक रुपए 373.51 दैनिक
बेकर/ स्टीवार्ड / बटलर/ ड्राफ्ट्समैन / रुपए 12191 मासिक रुपए 11205 मासिक
टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर/
वेयरर/ स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड
बेयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0
प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर/ क्लर्क (ग्रेजुएट) / अकाउंटेंट / रु. 422.85 दैनिक रुप. 391.38 दैनिक
हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / रु. 12686 मासिक रुप.11741 मासिक
हैड-बेकर/ हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक /
इलैक्ट्रिशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर/
टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

टिप्पणी:—

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।

5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर० डी० धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रुपए 350 प्रतिदिन या रुपए 10500 प्रतिमाह
अर्ध-कुशल	रुपए 369.93 प्रतिदिन या रुपए 11098 प्रतिमाह
कुशल	रुपए 406.36 प्रतिदिन या रुपए 12191 प्रतिमाह
उच्च कुशल	रुपए 422.85 प्रतिदिन या रुपए 12686 प्रतिमाह

टिप्पणी.-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्चकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर0डी0 धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग :

(1) अकुशल कर्मकार :

न्यूनतम मजदूरी

चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटेन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, टरनर का सहायक, इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक, वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटेन्डेन्ट, जनरेटर अटेन्डेन्ट, टीएम अटेन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाइम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाइप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, क्लीनर-कम-बेलदार, वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले क्लीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाइल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कंडीशनिंग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

दैनिक
रु. 350मासिक
10500

अर्ध-कुशल कर्मकार :

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्वोरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डेंट, जनेरेटर अटैन्डेंट, लोकोमोटिव अटैन्डेंट, कन्क्रीट मिक्चर अटैन्डेंट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोर्टरी सहायक, गेज रीडर, टाइम कीपर, डीजल जनेरेटर सेट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल इंजन फिटर, कनिष्ठ पाइप फिटर, दूरभाष अटैन्डेंट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटैन्डेंट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रैपर, पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्प्लेंट अटैन्डेंट, कनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली ।

रु. 371.77

रु. 11153

कुशल कर्मकार :

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, क्रशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, गैन्ट्री ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक/जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रीशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाइन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपेक्टर, सुपरवाइजर, कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेक्निकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो क्रेन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रैप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोटार बाइन्डर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, स्टोर कीपर, लेखा क्लर्क, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

रु. 406.36

रु.12191

उच्च-कुशल कर्मकार :

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मैकेनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ बार बाइन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सपर्ट, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाइजर, लेबोरेटरी एसिस्टेंट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउंटेन्ट खलासी (आठ वर्ष से अधिक का अनुभव) ।

रु. 483.17

रु. 14495

टिप्पणी.—

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और ब्यस्क या अब्यस्क के न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जन-जातीय क्षेत्रों में न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी।

मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना निम्न दिए गए उदाहरण के अनुसार होगी:—

	कर्मकार का प्रवर्ग	मजदूरी की न्यूनतम दर (प्रतिदिन) (रु०)	गैर-जनजातीय क्षेत्रों में स्थित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में 25% वृद्धि की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रु०)	स्तम्भ संख्या 3+4 के अनुसार कुल मजदूरी बनी (प्रतिदिन) (रु०)	स्तम्भ संख्या 5 के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरों के ऊपर 20% सुरंग भत्ता की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रु०)	न्यूनतम मजदूरी की कुल स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रु०)
1	2	3	4	5	6	7
(क)	अकुशल	350	87.5	437.5	87.5	525
(ख)	अर्ध-कुशल	371.77	92.94	464.71	92.94	557.65
(ग)	कुशल	406.36	101.59	507.95	101.59	609.54
(घ)	उच्च कुशल	483.17	120.79	603.96	120.79	724.75

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर0डी0 धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

न्यूनतम मजदूरी

अकुशल:

दैनिक
रुपए 350

मासिक
रुपए 10500

पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर,
हाउस कीपिंग हैल्पर, चपरासी।

अर्ध-कुशल :

तकनीशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मँटेनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट ।

रुपए 360.92

रुपए 10828

कुशल :

ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीकल सुपरवाइजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

रुपए 406.36

रुपए 12191

उच्च कुशल:

सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एगजिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेजेन्टेटिव, बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट और स्टेनोग्राफर ।

रुपए 483.17

रुपए 14495

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है । अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता भी परिचित होना अपेक्षित है ।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं । इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा ।

(iii) कुशल: कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर0डी0 धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लिनिक

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लिनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन चाय और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, वॉच मैन, चपरासी, रूम ब्वाय, आफिस ब्वाय और मसालची।

रुपए 350 दैनिक
रुपए 10500 मासिक

रुपए 324.47 दैनिक
रुपए 9734 मासिक

अर्ध-कुशल :

क्लिनिक अटेन्डेंट, असीसटेंट लैबोरेटरी तकनीशियन, सिक्वोरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन

रुपए 369.93 दैनिक
रुपए 11098 मासिक

रुपए 339.12 दैनिक
रुपए 10174 मासिक

थियेटर असीसटेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेंडेंट, और वार्ड ब्वाय और वार्ड अटेंडेंट (0 से 3 वर्ष अनुभव)

कुशल :

रिसेप्शनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेड दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो ग्राफर ईसीजी ऑपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन ऑपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैक्शनिस्ट स्टोर कीपर एकाउन्टेन्ट क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक, धोबी, वार्ड ब्वाय और वार्ड एटेंडेंट (3 वर्ष से ऊपर का अनुभव)।

रुपए 406.36 दैनिक
रुपए 12191 मासिक

रुपए 373.51 दैनिक
रुपए 11205 मासिक

उच्च कुशल ::

स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर ।

रुपए 422.85 दैनिक
रुपए 12686 मासिक

रुपए 391.38 दैनिक
रुपए 11741 मासिक

टिप्पणी.—

1. एक ही प्रकार और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

15. घरेलू कर्मकार

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कर्मकार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:

हेल्पर आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन और वॉशर मैन ।

रुपए 350 दैनिक
रुपए 10500 मासिक

रुपए 296 दैनिक
रुपए 8880 मासिक

अर्ध-कुशल:

सिक्वोरिटी गार्ड और माली ।

रुपए 369.93 दैनिक
रुपए 11098 मासिकरुपए 306.88 दैनिक
रुपए 9206 मासिक**कुशल:**

कुक और चालक

रुपए 406.36 दैनिक
रुपए 12191 मासिकरुपए 326.92 दैनिक
रुपए 9808 मासिक**टिप्पणी:-**

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर0डी0 धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

कर्मकारों के प्रवर्ग	न्यूनतम मजदूरी	
	दैनिक	मासिक
अकुशल :		
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन	रुपए 350	रुपए 10500
अर्ध-कुशल :		
वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।	रुपए 360.92	रुपए 10828
कुशल:		
चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।	रुपए 406.36	रुपए 12191
उच्च कुशल:		
कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपेक्टर और स्टैनो ग्राफर	रुपए 483.17	रुपए 14495

टिप्पणी.-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।

3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर0डी0 धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

17. सुरक्षा सेवाएं

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30-03-2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल:

हेल्पर और वॉच मैन

दैनिक

रुपए 350

मासिक

रुपए 10500

अर्ध-कुशल :

सिक्वोरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैडेंट।

रुपए 360.92

रुपए 10828

कुशल:

सिक्वोरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।

रुपए 406.36

रुपए 12191

उच्च कुशल :

सिक्वोरिटी ऑफिसर, सिक्वोरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट।

रुपए 483.17

रुपए 14495

टिप्पणी.-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुदेय होगी।
6. गैर जनजातियों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो-इलैक्ट्रिक जल परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **30-03-2022** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2022** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2022** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्याय और बेलदार
 रुपए 350 दैनिक रुपए 324.47 दैनिक
 रुपए 10500 मासिक रुपए 9734 मासिक

अर्ध-कुशल:

चपाती मैन्, स्वीपर, रूम ब्याय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रुपए 369.93 दैनिक रुपए 339.12 दैनिक
 टेम्पल अटेन्डेन्ट, भोग रूम अटेन्डेन्ट, हॉल अटेन्डेन्ट, रुपए 11098 मासिक रुपए 10174 मासिक
 सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेन्ट।

कुशल :

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रिसेप्शनिस्ट, पुजारी, पंडित, कुक, रुपए 406.36 दैनिक रुपए 373.51 दैनिक
 मौलवी ग्रन्थी पादरी स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, रुपए 12191 मासिक रुपए 11205 मासिक
 क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।

उच्च कुशल:-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन गायक, रुपए 422.85 दैनिक रुपए 391.38 दैनिक
 स्टैनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट, रुपए 12686 मासिक रुपए 11741 मासिक

टिप्पणी:—

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित

होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर0डी0 धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2022

19. टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कर्मकार

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टैक्स बैरियरों" में कार्यरत कर्मकारों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **30-03-2022** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2022** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2022** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:—

चपरासी, ऑफिस ब्याय और मसालची

न्यूनतम मजदूरी

दैनिक

रुपए 350

मासिक

रुपए 10500

अर्ध-कुशल:

हैल्पर कुक, कैश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और कम्पलेन्ट अटेन्डेंट ।

रुपए 360.92 या रुपए 10828
प्रतिदिन प्रतिमाह

कुशल:

इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

रुपए 406.36 या रुपए 12191
प्रतिदिन प्रतिमाह

उच्च कुशल :

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, सैनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट

रुपए 483.17 या रुपए 14495
प्रतिदिन प्रतिमाह

टिप्पणी.—

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

(i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल.**—अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल.**—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

1. AGRICULTURE

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the scheduled employment of “**Agriculture**” may be revised with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L; dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. **350** per day or Rs. **10,500** per month *w.e.f.* **01-04-2022**.

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,
R. D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 25th May, 2022

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING.

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as under:—

Category of Workers	Revised Wages	
	Daily	Monthly
1	2	3
UN-SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimini Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar/Cleaner-Tractor & Road Roller & Concrete mixer/Majdoor /Survey	350	10500

Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Mess helpers/ Boy Helper (having experience of 0 to 5 years)/ Khalasi (having experience of 0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker/

SEMI-SKILLED WORKER:

Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith/ (Boatman)/ Caneman/ Distemperer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ Battery Charger/ Dresser(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper (having experience of 5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (having experience of 3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher

1½ inch to 2 inch = Rs. 2074.95 per 100 cft 1 to 1¼

inch = Rs. 2314.48 per 100 cft.

SKILLED WORKERS :

Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Asstt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ Diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical Fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ Refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper Operator/ Loader Operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD Crane Operator/ Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ Turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/ Telephone Operator/ Khalasi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi(8 years to above) /Tracer Operator/ E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type Work/Work Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone Mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Foreman Grade-II.

Rupees**Rupees****371.77****11153****Rupees****Rupees****406.36****12191**

HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/Chargeman Grade-I/Workshop Foreman Grade-I/Turner Grade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified)/Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.	483.17	14495
Clerical and Non-Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/ Mechanical Inspector / Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.	406.36	12191

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of worker employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas, an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:—

(i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgement or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for

proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled.—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgement and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Public Motor Transport**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2022 as under:-**

General Staff Unskilled Rs.350 per day, Rs. 10500 per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter and Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)

(c) Workshop Mazdoor without having any experience

Semi-skilled **Rs. 363.08 per day, Rs.10892 per month**

1. Asstt. Electrician
2. Asstt. Mechanic
3. Asstt. Fitter
4. Asstt. Black Smith
5. Asstt. Carpenter
6. Asstt. Welder
7. Asstt. Turner
8. Asstt. Boaring Barman
9. Asstt. Machinist
10. Asstt. Cushion Maker
11. Asstt. Volcanisor
12. Asstt. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt. Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma.
19. Assistant Molders

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

**Rs. 396.63 per day or
Rs. 11,899 per month.**

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

**Rs. 439.89 per day or
Rs. 13,197 per month.**

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:**Group-A**

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-day book Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant. **Rs. 396.63 per day or Rs. 11899 per month.**

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector. **Rs. 416.97 per day or Rs. 12509 per month.**

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier. **Rs. 491.77 per day
Rs. 14,753 per month.**

RUNNING STAFF

	Per Day	Per month
1. Driver	Rs. 444.50	Rs. 13,335
2. Conductor	Rs. 405.64	Rs. 12,169
3. Cleaner-cum-Conductor	Rs. 379.57	Rs. 11,387
4. Part-Time Booking Clerk	Rs. 243.72	Rs. 7,312

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:—

(i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgement or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made/taken by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled.—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgement and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R. D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Shops & commercial Establishments**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022 as under:—**

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
	Rupees	Rupees
Un skilled		
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/	Rs. 350 Daily	Rs. 324.47 Daily
	Rs.10500 Monthly.	Rs. 9734 Monthly

Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.

Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head porter, Pantryman/Coffee-Tea maker/ Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/ Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter/ Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/ White Washer/Pakora and Chana maker/Clerk (Non-matric/ Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/ ITI Certificate Holder.	Rs. 369.93 Daily. Rs. 11098 Monthly.	Rs. 339.12 Daily Rs. 10174 Monthly

Skilled:	Rupees	Rupees
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/ Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/Cutter (Tailoring) /General mechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/ Draughtsman/Telephone Operator/ Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/Cinema Operator/ Salesmen/ Drycleaner/ Dyer/Barber/ Regular machine man/machinist/ Welder/Moulder/Cashier/ Clerk/ (Matric)/Munim/ receptionist/ Waiter/ Bearer / Storekeeper/ headwaiter /Head bearer (Western Style Hotels)/Lineman. ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rs. 406.36 Daily Rs. 12191 Monthly	Rs. 373.51 Daily Rs.11205 Monthly

Highly Skilled	Rupees	Rupees
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foreman/ Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rs. 422.85 Daily Rs.12686 Monthly	Rs. 391.38 daily Rs. 11741 Monthly

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:—

(i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgement or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgement and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

5. FORESTRY INDUSTRIES

No. Shram(A)4-2/2018-P-II Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Forestry Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f* 01-04.2022 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UNSKILLED WORKERS		
1. Felling of trees:	Rs. 350	Rs. 10500
1. Lopper (Changi)	Rs. 369.93	Rs. 11098
2. Feller (Garani)	Rs. 357.92	Rs. 10738
2. Logging and sawing including timber passing:		
1. Dresser (Panchani)	Rs. 357.92	Rs. 10738
2. Sawyer (Charani)	Rs. 439.89	Rs. 13197
3. Blacksmith	Rs. 413.02	Rs. 12391
3. Carriage, stacking and timber passing by manual labour:		
1. Mazdoor for carriage	Rs. 357.92	Rs. 10738
2. Mazdoor for loading and un-loading of timber	Rs. 357.92	Rs. 10738
4. Carriage of timber by Aerial ropeways :		
1. Span Mistry- <i>cum</i> -Supervisor	Rs. 439.89	Rs. 13197
2. Span Mistry	413.02	Rs. 12391
5. Carriage by water slide (pucci Nalli), dry slide (Pathru), Nullah Bhaan and Darya Bahaan (River floating):		
1. Mohri-wala Mistry	Rs. 471.27	Rs. 14138
2. Taru	Rs. 452.33	Rs. 13570
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 422.85	Rs. 12686
4. Darya-man	Rs. 452.33	Rs. 13570
5. Ghalu	Rs. 384.72	Rs. 11542
6. Jamadar	Rs. 384.72	Rs. 11542
6. Mechanised logging and timber extraction:		
1. Surveyor	Rs. 442.53	Rs. 13276
2. Ski-line Operator	Rs. 413.02	Rs. 12391
3. Truck Driver	Rs. 387.43	Rs. 11623
4. Compressor Driver	Rs. 387.43	Rs. 11623
7. Clerical Staff:		
1. Manager	Rs. 509.43	Rs. 15283
2. Accountant	Rs. 393.38	Rs. 11801
3. Munshi/ Typist Clerk	Rs. 357.92	Rs. 10738
8. Saw Mill Workers:		
1. Band Saw Mistry	Rs. 413.02	Rs. 12391
2. Supervisor	Rs. 409.07	Rs. 12272
3. Head Mistry	Rs. 413.02	Rs. 12391
4. Boiler Driver	Rs. 413.02	Rs. 12391
5. Assistant Mistry	Rs. 363.08	Rs. 10892
6. Planner Mistry	Rs. 363.08	Rs. 10892

7. Helper	Rs. 357.92	Rs. 10738
8. Cutter man	Rs. 357.92	Rs. 10738
9. Katha Extraction:		
1. Feller and Chipper	Rs. 357.92	Rs. 10738
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs. 357.20	Rs. 10716

Highly Skilled

Boiler Attendant (1st Class) Overseer, Head Foreman= **Rs. 483 Daily. Rs. 14490 Monthly.**

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as:—

(i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgement or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgement and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers .

By order,

R. D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Chemical & Chemical Products**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f. **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 350 Daily Rs. 10500 Monthly
Semi -Skilled Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant, Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller, Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.	Rs. 360.92 Daily Rs. 10828 Monthly
Skilled Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.	Rs. 406.36 Daily Rs. 12191 Monthly
Highly Skilled Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman	Rs. 483.17 Daily Rs. 14495 Monthly

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as:

(i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgement or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgement and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 25th May, 2022

7. ENGINEERING INDUSTRIES

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Engineering Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-Skilled	Rs. 350 Daily or
	Rs. 10500 Monthly
Semi skilled	
Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.	Rs. 360.92 Daily or Rs. 10828 Monthly
Skilled	
Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil Winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.	Rs. 406.36 Daily Rs. 12191 Monthly

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I, Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I.

Rs. 483.17 Daily**Rs. 14495 Monthly****Clerical Staff**

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 375.62 Daily**Rs. 11269 Monthly****NOTE:—**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:

(i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

8. TEA PLANTATION

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2022**;

And whereas as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Revised Minimum Wages
Field workers in Tea Plantation employed on plantation uprooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;	Rs. 350 Daily or Rs. 10500 Monthly.

A-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get **Rs. 25.32** per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves.—If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get **Rs. 20.04** per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get **Rs 14.94** per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get **Rs. 25.32, Rs. 20.04 Rs. 14.94** per kilogram for A, B, C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED.—Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. **Rs. 355.95** per day, **Rs. 10679** per month

FACTORY:

Include Lift Mazdoor, Withering Mazdoor, Relling Room Workers, Shifting Mazdoor, Fermenting Room Workers, Tea Boys, Sorters, Tea Makers, Time Keeper And Carriers (jhalli).

**Rs. 350 daily
Rs. 10500 Monthly**

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Muharirs etc. who maintain records of a field work and also includes sweeper, Mali & Mate.

Rs. 350 daily
Rs. 10500 Monthly

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF**OFFICE STAFF:**

1. Accountant	Rs. 535.02	Rs. 16051 per month plus free accommodation	
2. Clerks	Rs. 406.36	Rs. 12191 per month plus free accommodation	
3. Munshi	Rs. 425.92	Rs. 12778 per month plus free benefits as admissible to clerk	
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs. 355.95	Rs. 10679 per month plus free benefit as admissible.	
		Daily	Monthly
5. Compounder		Rs. 495.61	Rs. 14868
6. Driver (Jeep/ Car/Tractor)		Rs. 444.50	Rs. 13335
7. Mechanic ,		Rs. 499.60	Rs. 14988
8. Assistant Mechanic		Rs. 442.53	Rs. 13276
9. Electrician-cum-Mechanic Grade-I		Rs. 499.60	Rs. 14988
10. Electrician-cum-Mechanic Grade-II		Rs. 442.53	Rs. 13276

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

(i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act,1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-skilled Workers	Rs. 350 per day	or	Rs. 10500 per month
Semi-skilled	Rs. 360.92 per day	or	Rs. 10828 per month
Skilled & Clerical Staff	Rs. 406.36 per day	or	Rs. 12191 per month
Highly-Skilled	Rs. 483.17 per day	or	Rs. 14495 per month

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:

(i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 25th May, 2022

10. HOTEL AND RESTAURANTS

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Hotel and Restaurants**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers

working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.	Rs. 350 Daily	Rs. 324.47 Daily
	Rs. 10500 Monthly	Rs. 9734 Monthly
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman / Assistant Baker/Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner/Assistant Welder/Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric)/ Assistant Store Keeper/Distributor and Assistant Machineman/ Enquiry Attendant/ Telephone Attendant/ ITI certificate holder who are working in the other trade.	Rs. 369.93 Daily	Rs. 340.11
	Rs. 11098 Monthly	Rs. 10203 Monthly
SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/ Steward/Butler/Draughtsman/Telephone Operator/Receptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel) ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rs. 406.36 Daily	Rs. 373.51 Daily
	Rs. 12191 Monthly	Rs. 11205 Monthly
Highly Skilled	Rupees	Rupees
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/ Foremen/Supervisor/Tailor/Cutter (Tailoring)	Rs. 422.85 Daily	Rs. 391.38
	Rs. 12686 Monthly.	Rs. 11741 Monthly

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of un-skilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:

(i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R. D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Private Educational**

Institutes” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2022** ;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-skilled Workers	Rs. 350 per day or Rs. 10500 per month
Semi-skilled	Rs. 369.93 per day or Rs. 11098 per month
Skilled	Rs. 406.36 per day or Rs. 12191 per month
Highly skilled	Rs. 422.85 per day or Rs. 12686 per month

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of un-skilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:

(i) **Un-skilled.**—An un-skilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled.—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R. D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

12. Hydro Power Projects

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Hydro Power Projects**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily Rs.	Monthly Rs.
UN-SKILLED WORKERS :		
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK	350	10500

Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi (3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Electrician, Mali

371.77

11153

SKILLED WORKERS :

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor (Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai (more than 5 years Experience) and Dhobi.

406.36

12191

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine

483.17

14495

Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

Sample calculation of Minimum Rates of Wages is given as below:—

Category of Worker	Minimum Rates of Wages	Admissibility of 25% increase in Under-Construction Hydro Electric Power Projects Located in Non-Tribal Areas	Total Wages arrived at as per column No. 3+4	Admissibility of 20% Tunnel Allowance over and above the Minimum Rates of Wages as per the column No. 5	Total admissibility of Minimum Wages
	(per day)	(per day)	(per day)	(per day)	(per day)

		(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	Unskilled	350	87.5	437.5	87.5	525
(B)	Semi-Skilled	371.77	92.94	464.71	92.94	557.65
(C)	Skilled	406.36	101.59	507.95	101.59	609.54
(D)	Highly Skilled	483.17	120.79	603.96	120.79	724.75

The definition of un-skilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:—

(i) **Unskilled.**—An un-skilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R. D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Pharmaceuticals' Industries**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Daily	Wages Monthly
Unskilled Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs. 350	Rs. 10500
Semi Skilled		
Technician (D. Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 360.92	Rs. 10828
Skilled		
Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 406.36	Rs. 12191
Highly Skilled. —Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer.	Rs. 483.17	Rs. 14495

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of un-skilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Hospitals/Nursing Homes & Clinics**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2022**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un-skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy and Masalchi.	350 Daily 10500 Monthly.	324.47 Daily 9734 Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Guard, Sweeper, Operation Theatre Assistant, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Ward Boy and Ward Attendant (0-3 Years Experience)	369.93 Daily 11098 Monthly	339.12 Daily 10174 Monthly
Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience).	406.36 Daily 12191 Monthly	373.51 Daily 11205 Monthly
Highly Skilled:	Rs.	Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder. Accountant and Stenographer.	422.85 Daily 12686 Monthly	391.38 Daily 11741 Monthly

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of un-skilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

15. Domestic Workers

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Domestic Workers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2022;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled:	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and Washer man	350 Daily 10500 Monthly	296 Daily 8880 Monthly
Semi-Skilled:	Rs.	Rs.
Security Guard and Mali	369.93 Daily 11098 Monthly	306.88 Daily 9206 Monthly
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook and Driver	406.36 Daily. 12191 Monthly	326.92 Daily 9808 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprentices Act,1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of un-skilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

16. Safai Karamchari Employment

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Safai Karamchari Employment**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled. —Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and Cartman.	Rs. 350	Rs. 10500
Semi-Skilled:		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 360.92	Rs. 10828
Skilled :		
Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs 406.36	Rs. 12191
Highly Skilled:		
Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer	Rs. 483.17	Rs. 14495

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

17. Security Services

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Security Services**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2022;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022;**

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-Skilled :	Daily	Monthly
Helper and Watchman	Rs. 350	Rs. 10500
Semi-skilled:		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 360.92	Rs. 10828
Skilled:		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 406.36	Rs. 12191
Highly Skilled:		
Security Officer, Security Manager, Stenographer and Accountant.	Rs. 483.17	Rs. 14495

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:—

- (i) **Skilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi –skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Temples and Religious Places/Dharamshalas**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of workers	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled:	Rs.	Rs.
Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	350 Daily 10500 Monthly	324.47 Daily 9734 Monthly.
Semi-Skilled:	Rs.	Rs.
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	369.93 Daily 11098 Monthly	339.12 Daily 10174 Monthly
Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	406.36 Daily 12191 Monthly	373.51 Daily 11205 Monthly
Highly Skilled:	Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan Singer, Stenographer and Accountant.	422.85 Daily. 12686 Monthly	391.38 daily 11741 Monthly.

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or

previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, dated 25-5-2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2022

19. Workers Working in Toll Tax Barriers

No. Shram(A)4-2/2018-P-II.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Workers Working in Toll Tax Barriers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2022**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948(Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A) 4-2/2018- L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **30-03-2022** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* **01-04-2022**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment *w.e.f.* **01-04-2022** as per recommendations of the said Committee as under:—

	Minimum Daily	Wages Monthly
Un-skilled Workers : Peon, Office Boy and Masalchi	Rs. 350	Rs. 10500
Semi-skilled: Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard and Complaint Attendant.	Rs. 360.92 per day or Rs. 10828 per month	
Skilled: Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 406.36 per day or Rs. 12191 per month	
Highly-Skilled: Supervisor, Superintendent, Stenographer and Accountant	Rs. 483.17 per day or Rs. 14495 per month	

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled worker will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) **Skilled.**—A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

R.D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री प्रीतम कुमार पुत्र श्री फीटू राम, निवासी खोपा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रीतम कुमार पुत्र श्री फीटू राम, निवासी गांव व डा0 खोपा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी भतीजी माया देवी की मृत्यु दिनांक 14-06-2017 को महाल खोपा में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 13-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

Joginder Kumar aged 38 years s/o Sh. Chuni Lal, r/o Bag, P.O. Upper Bhatta, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Joginder Kumar aged 38 years s/o Sh. Chuni Lal, r/o Bag, P.O. Upper Bhatta, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Naitik का जन्म दिनांक 01-05-2011 को महाल Bhatta में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 31-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Joginder Kumar aged 38 years s/o Sh. Chuni Lal, r/o Bag, P.O. Upper Bhatta, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Joginder Kumar aged 38 years s/o Sh. Chuni Lal, r/o Bag, P.O. Upper Bhatta, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Rishav का जन्म दिनांक 16-02-2009 को महाल Bhatta में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 31-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Aditya Kapoor aged 27 years s/o Sh. Krishan Chand, r/o Village & P.O. Sansal, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Aditya Kapoor aged 27 years s/o Sh. Krishan Chand, r/o Village Sansal, P.O. Sansal, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि Aditya Kapoor का जन्म दिनांक 15-01-1995 को महाल Sansal में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 31-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Amit Awasthi s/o Sh. Subhash Awasthi, r/o V.P.O. Ustehar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Amit Awasthi s/o Sh. Subhash Awasthi, r/o V.P.O. Ustehar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Shivank Awasthi का जन्म दिनांक 27-10-2006 को DTIL Hospital Baijnath में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 31-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Muninder Kumar s/o Late Sh. Bihari Lal Awasthi, r/o Village Kalyana, P.O. Majherna, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Muninder Kumar s/o Late Sh. Bihari Lal Awasthi, r/o Village Kalyana, P.O. Majherna, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता Sushma Devi की मृत्यु दिनांक 28-12-2005 को महाल Kalyana में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 31-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

सुरजीत सिंह सुपुत्र रतन लाल, निवासी गांव तारागढ़, डा0 तारागढ़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सुरजीत सिंह सुपुत्र रतन लाल, निवासी गांव तारागढ़, डा0 तारागढ़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री परु का जन्म दिनांक 09-01-2009 को महाल तारागढ़ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 13-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

देव राज सुपुत्र स्व0 श्री दुलोराम, निवासी तड़ा, डा0 धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

देव राज सुपुत्र स्व0 श्री दुलोराम, निवासी तड़ा, डा0 धरेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 04-08-1979 को महाल धरेड़ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 30-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 52/NT/2022

तारीख पेशी : 30-05-2022

Taru s/o Late Sh. Bangali, r/o Village Kotli, Moja Bir, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.)

प्रार्थी।

बनाम

1. Jagdish Chand, 2. Piar Chand, 3. Asha Devi d/o Makholi Ram, 4. Swarna Devi d/o Nanku, 5. Chatro expire, 6. Geeta Devi d/o Damoder expire, 7. Tuti, 8. Shekher s/o, 9. Manju, 10. Likho Devi w/o Late Sh. Rattnu, 11. Goldi s/o Makholi, all r/o Village Kotli, Moja Bir, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम

विषय.—हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 245, खतौनी नं0 369, 370, खसरा नम्बरान 3, रकबा तादादी 00-36-31 है0, वाक्या महाल कोटली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2014-2015.

प्रार्थी श्री तारु सुपुत्र बंगाली, निवासी गांव कोटली, मौजा बीड़, तहसील बैजनाथ (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में खाता नं0 245 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण स्वर्णा देवी के सिवाए अन्य की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को जो फौतशुदा है उनके वारसान का सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारा अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है। कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-05-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-04-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 47/NT/2018

तारीख पेशी : 31-05-2022

Sushil Kumar s/o Sh. Parma Nand, r/o Mohal Sakri, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.)

प्रार्थी।

बनाम

1. Surender Kumar, 2. Dhruv Dev s/o Mast Ram, 3. Punju Ram s/o Braptu, 4. Thothi s/o Sh. Thakur Dass, 5. Savitri Devi d/o Sh. Thakur Dass expire, 6. Amit Ram s/o Rajinder Parshad, 7. Babita d/o Sh. Rajinder Parshad, 8. Bindia d/o Sh. Rajinder Parshad, 9. Anita d/o Sh. Rajinder Parshad, 10. Davinder Parshad s/o Sh. Urbidhar, 11. Virender Parshad s/o Sh. Urbidhar, 12. Vijay Kumar d/o Sh. Urbidhar, 13. Saroj Kumari d/o Sh. Urbidhar, 14. Mangla w/o Late Sh. Urbidhar expire, 15. Usha Devi, 16. Saroj Devi, 17. Amit s/o Sh. Ashok, 18. Neelam d/o Ashok, 19. Kitrti d/o Satish, 20. Sunita Devi w/o Satish, all r/o Mohal Sakri Khas, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.)

प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 297, खतौनी नं0 494, खसरा नम्बरान 3, रकबा तादादी 00-13-58 है0, वाक्या महाल Sakri Khas, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2014-2015.

प्रार्थी श्री सुशील कुमार सुपुत्र परमा नंद, महाल सकडी, मौजा व तहसील बैजनाथ (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में खाता नं0 297 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण दविन्द्र व सुरेन्द्र कुमार के सिवाए अन्य की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को जो फौतशुदा है उनके वारसान का सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारा अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पानगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असागतन या वकालतन तारीख पेशी 31-05-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-04-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायरा	तारीख पेशी
02/T/2022	नाम दुरुस्ती	24-02-2022	30-05-2022

समीर शर्मा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी समीर शर्मा पुत्र बिमला देवी, वासी महाल कौलापुर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी समीर शर्मा पुत्र बिमला देवी, वासी महाल कौलापुर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कौलापुर में समीर पुत्र विमला देवी दर्ज है जबकि उसका सही नाम समीर शर्मा पुत्र बिमला देवी है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके समीर शर्मा पुत्र बिमला देवी किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, पर्चा जमाबंदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार नकल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 30-05-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 28-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़,
तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 30-05-2022

सुरेश कुमार पुत्र श्री पान सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिहुंआ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकि 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती आत्मा देवी पत्नी श्री पान सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिहुंआ का देहांत दिनांक 29-01-2016 को गांव सिहुंआ में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सिहुंआ के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-05-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 13-05-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Sh. Vikram Singh, H.A.S., Additional District Registrar of Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sangrah, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Kaushalya Devi d/o Sh. Jalam Singh (Divocee) aged about 34 years, r/o Village Kakog, Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur (H.P.), and

2. Virender Kumar s/o Sh. Harnam Singh aged about 29 years, r/o Village Duki, P.O. Tikkeri, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.). ..Applicants.

Versus

General Public

..Respondent.

Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Kaushalya Devi d/o Sh. Jalam Singh (Divocee), r/o Village Kakog, Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur (H.P.) and Virender Kumar s/o Sh. Harnam Singh aged about 29 years, r/o Village Duki, P.O. Tikkeri, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) have filed an application alongwith affidavits for registration of their marriage in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 on dated 26-03-2022 stating therein that they have solemnized their marriage on 03-02-2022 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 03-02-2022 between Kaushalya Devi d/o Sh. Jalam Singh (Divocee), r/o Village Kakog, Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur (H.P.) and Virender Kumar s/o Sh. Harnam Singh aged about 29 years, r/o Village Duki, P.O. Tikkeri, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.). He/she should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of publication of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 21-04-2022.

Seal.

VIKRAM SINGH (HAS),
Additional District Registrar of Marriage -cum-S.D.M.,
Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत रामभज शर्मा, नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 08 / 2022

श्री इशरान पुत्र तबाकल, निवासी भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री इशरान पुत्र तबाकल, निवासी भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री की जन्म तिथि 25-04-2020 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भांटावाली में ऊपर वर्णित जन्म तिथि 25-04-2020 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती हुफैजा पुत्री इशरान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भांटावाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-06-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त हुफैजा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत भांटावाली में दर्ज करने बारे कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-05-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत रामभज शर्मा, नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 9/2022

श्री कृष्ण कुमार पुत्र मुख्तयारा सिंह, निवासी कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कृष्ण कुमार पुत्र मुख्तयारा सिंह, निवासी कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र की जन्म तिथि 11-12-2007 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भांटावाली में ऊपर वर्णित जन्म तिथि 11-12-2007 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री लक्ष्य पुत्र कृष्ण कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भांटावाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12-06-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री लक्ष्य की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत भांटावाली में दर्ज करने बारे कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-05-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत रामभज शर्मा, नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 10/2022

श्रीमती सुखदीप कौर पुत्री जसमिन्दर सिंह, निवासी सन्तोषगढ़ पुरूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुखदीप कौर पुत्री जसमिन्दर सिंह, निवासी सन्तोषगढ़ पुरूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 27-08-1997 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 27-08-1997 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती सुखदीप कौर पुत्री जसमिन्दर सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12-06-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती सुखदीप कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर में दर्ज करने बारे कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-05-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Jitender s/o Sh. Narayan Thakur, House No. 36/4, Shamti, Solan (H.P.) declare that in my school Metric Certificate S. No. SSE/2015, 1288455 my father's & mother's names are wrongly entered as Narayan DC & Nirmla DC. My father's correct name is Narayan Thakur & mother's correct name is Nirmla Thakur, kindly correct it.

JITENDER,
s/o Sh. Narayan Thakur,
House No. 36/4, Shamti, Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Deep Ram Thakur s/o Sh. Bija Ram Thakur, r/o Bagoloo (37), Shimla (H.P.)-171006 declare that in Pan Card bearing No. AANPT9941L my father's name is wrongly entered as Vijay Ram Thakur. Kindly correct it Bija Ram Thakur. All concerned please note.

DEEP RAM THAKUR ,
s/o Sh. Bija Ram Thakur,
r/o Bagoloo, Shimla (H. P.).

